संख्या-सी0एम0-18/21-1-2012-सी0एम0-13/2011

प्रेषक,

प्रभात कुमार सारंगी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
(3) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(4) समस्त निगमों/परिषदों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0।

भाषा अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 22 नवम्बर, 2012

विषय- समस्त सरकारी कार्यालयों के नामपट्ट तथा अधिकारियों के नाम/पदनाम को हिन्दी/उर्दू में लिखा जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-112एम/21-1-94-15(2)94, दिनांक 06 मई 1994, संख्या-3281/21-1-94-15(1)/94, दिनांक 22 दिसम्बर, 1994 तथा पत्र संख्या-515/21-1-2003-मा-8/2003, दिनांक 14 सितम्बर, 2003 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त आदेशों के बावजूद सरकारी कार्यालयों के नामपट्ट हिन्दी में तथा उसके नीचे उर्दू में लिखे जाने के आदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। यह स्थिति सन्तोषजनक नहीं है।

2- अतः इस संबंध में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यालयों का नाम और अधिकारियों के नाम/पदनाम हिन्दी के साथ उर्दू में भी लिखाये जाने संबंधी उक्त आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(प्रभात कुमार सारंगी)
प्रमुख सचिव

संख्या-सी0एम0-18(1)/21-1-2012-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
(2) प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
(3) प्रमुख सचिव विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
(4) सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(5) उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(डी0एस0श्रीवास्तव)
विशेष सचिव